संख्या-57/2017/673/71-1-2017-जी-39/2017

प्रेषक

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों/सम्बद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में विभिन्न् मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2016-17/1039, दिनॉक 22-03-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झॉसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के संचालन में रू0 2419.11 लाख तथा राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ में रू0 200.00 लाख कुल रू0 26,19,11,000/- (रू0 छब्बीस करोड़ उन्नीस लाख ग्यारह हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष राजकीय मेडिकल कालेजों/समबद्ध चिकित्सालयों/संस्थानों में विभिन्न् मानक मदों में रू0 26,19,11,000/- (रू0 छब्बीस करोड़ उन्नीस लाख ग्यारह हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन वेतनादित सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-403/दस-2017, दिनॉक 30 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:- 57/2017/673(1)/71-1-2017 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, आजमगढ़ तथा बाँदा।
3- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, आजमगढ़ तथा बाँदा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, झाँसी, मेरठ, आजमगढ़ तथा बाँदा।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।